सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वादपत्र स0 86/2018

राकेश कुमार खटीक पुत्र स्व शिवदयाल खटीक निवासी शिवनगर (पारा) तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज

---वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

----प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 14.05.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प पारा में पेश हुई। वादी /प्रतिवादी उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मय आधार कार्ड, राशनकार्ड , भामाशाह, बैकपास एवं अन्य दस्तावेज पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम पारा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 124 एवं 897 में वादी का नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 1817 दिनांक 05.02.2013 से मृतक शिवदयाल के वारिस पप्पु पि. शिवदयाल दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त करवाकर राकेश कुमार पुत्र शिवदयाल दर्ज किया जावे।**

हमने वादी का वादपत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया । तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार **ग्राम पारा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 124 एवं 897 में वादी का नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 1817 दिनांक 05.02.2013 से मृतक शिवदयाल के वारिस पप्पु पि. शिवदयाल दर्ज** है। वार्दी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार **ग्राम पारा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 124 एवं 897 में वादी का नाम पप्पु पि. शिवदयाल** के स्थान पर **राकेश कुमार पुत्र शिवदयाल** किया जाने की तहसीलदार केकड़ी द्वारा सिफारिश की है।

हमने वादपत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का मानखण्ड की रिपोर्ट की जांच करने पर पाया गया कि **ग्राम पारा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 124 एवं 897 में वादी का नाम पप्पु पि. शिवदयाल** के स्थान पर **राकेश कुमार पुत्र शिवदयाल** का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच **पप्पु पि. शिवदयाल** के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादी **पप्पु पि. शिवदयाल** के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी **पप्पु पि. शिवदयाल** नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार **केकडी** को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 14.5.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पारा में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी